न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible] संख्याः 27 / 2023

[illegible]थी[illegible] :—
1. गेबराराम पुत्र कुचटाराम
जाति कौम निवासी लुम्बावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—
1. पुनित कुमार धारीवाल पुत्र गौतमचन्द धारीवाल कौम जैन निवासी गुड़ामालानी
2. रूगनाथराम पुत्र विरधीचन्द
3. सुनील कुमार पुत्र विरधीचन्द कौम विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी
4. जगदीशचन्द्र पुत्र शंकरलाल कौम जैन निवासी बाण्ड तहसील नौखडा
5. मनोजकुमार पुत्र धनराज
6. रवीन्द्रकुमार पुत्र धनराज
7. धनराज पुत्र लीलाधर कौम जोशी निवासी गुड़ामालानी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 17.04.23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074—2074 सरहद मौजा गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1657/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1657/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/4/23 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

वाद / 2023 / 458

दिनांक : 21/4/23

प्रार्थीगण

गेवराराम

बनाम

विप्रार्थीगण

पुनित कौरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 67/23

निर्णय दिनांक :– 17.04.23

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1657/5 रकबा 2.3715 हे0 खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आव यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

कमांक: वाद / 2023 / 439-40

दिनांक : 21/4/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी गुड़ामालानी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी गेवराराम S/o [illegible]
5. विप्रार्थी पुनित कुमार कौरा

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी